तारीख हुक्म	राजस्व अपील संख्या 59/2021 श्रीमति सुगणीदेवी बनाम भंवरलाल वगैरह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

19/12/2022

अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित। हस्तगत प्रकरण मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अन्तरिम आदेश दिनांक 12.02.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। हस्तगत प्रकरण मे हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 26.08.2021 से निरन्तर अंतिम आदेशिका तक अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील अन्तरिम आदेश दिनांक 12.02.2019 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2019 को अंतरिम आदेश पारित किया गया है। प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी से संबधित मूल निर्णय अधीनस्थ न्याायलय के समक्ष विचाराधीन/लंबित मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत निर्णीत होगा। ऐसी परिस्थितियो मे न्यायहित को मद्देनजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किया जाकर प्रकरण को लंबा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के इस मत पर अपनी सहमति जाहिर की गई।

प्रकरण मे अपीलांट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मे वर्णित तथ्यो पर बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट एंवं रेस्पोडेन्टगण की सामलाती खातेदारी आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का विधिवत अवसर दिये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

अपीलांट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है।

हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील अन्तरिम व्यादेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करने के सम्बन्ध में जो प्रावधान दिए गए है, उनमे मुख्य रूप से आदेश 39 नियम 1 से 4 मुख्य है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जहां तक आदेश 39 नियम 3 सीपीसी का प्रश्न है, इस संबंध में आदेश 39 नियम 3 सी पी सी का उद्धरण इस प्रकार है–

आदेश 39 नियम 3

3. *Before granting injuction, Court to direct notice to opposite party-*

The Court shall in all cases except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay, before granting an injunction direct notice of the application

for the same to given to be the opposite party

Provided that, where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the court shall record the reasons for its opinion that the object of granting the injunction would be defeated by dealy, and require the applicant-

(A) to deliver to the opposite party, or to send to him by registered post, immediately after the order granting the injunction has been made, a copy of the application for injunction together with-

1. *a copy of the affidavit filed in support of the application.*
2. *a copy of the plaint and*
3. *copies of doucments on which the applicant relies, and*

(b) to file, on the day on which such in such injunction is granted or on the day immediately following that day, and affidavit stating that the copies aforesaid have been so delivered sent.

आदेश 39 नियम 3(क) सी.पी.सी में प्रावधित किया है कि " 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय द्वारा 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उपरोक्त कानून के सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील व्यादेश एकपक्षीय अंतरिम व्यादेश है। विधि अनुसार जहां एकपक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है, ऐसे मामलो को न्यायालय द्वारा 30 दिवस के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए। हस्तगत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की फोटोप्रति आदेशिकाओ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत दिनांक 12.02.2019 से 21.07.2021 तक तलबी भी पूर्ण नहीं हुई। सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानुसार एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण का 30 दिवस में निस्तारण नहीं किये जाने का विधिसम्मत कारण भी पत्रावली की आदेशिकाओ में अंकित नही है। वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना मे निर्णीत होगा। ऐसी परिस्थितियो मे वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रकरण के इस स्तर पर किसी प्रकार का तर्क दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र का लगभग 03 वर्षो से अंतिम निस्तारण नहीं किये जाने से हितबद्ध पक्षकारो को कई प्रकार की परेशानियो का सामना करना पड रहा है एवं प्रार्थना पत्र लंबित होने से पक्षकारो को न्याय प्राप्त होने मे अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। जो कि न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है। प्रकरण किसी भी पक्ष की ओर से हाजा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के संबध में माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित किसी भी आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर चितलवाना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2019 बउनवान भंवरलाल वगैरा बनाम रामलाल वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 12.02.2019 को अपास्त किया जाता है। चूंकि प्रकरण में निहित कानूनी बिन्दुओ की पालना करवाई जानी आवश्यक है, तद्नुसार सहायक कलक्टर चितलवाना को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय मे प्रकरण से संबधित विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2019 बउनवान भंवरलाल वगैरा बनाम रामलाल वगैरा के अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानो की पालना करते हुए उभयपक्षो को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए 30 दिवस के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली